

खण्ड - छः

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

1. प्रस्तावना :-

प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राज्य के सर्वोच्च संगठन होने के नाते छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये विभिन्न कार्यक्रमों की योजना और उसके निष्पादन हेतु प्रयासरत है। मण्डल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिये उच्च टैक्नॉलाजी और बेहतर प्रबंधन को विकसित करने और कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य में जल स्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना एवं उसको स्वच्छ बनाये रखना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। औद्योगिक ईकाइयों से उत्सर्जन और प्रदूषण की ऑनलाईन निगरानी / उच्च प्रदूषणकारी उद्योगों को 17 प्रकार की श्रेणियों में बांटा जाना एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने एवं प्रशासन में पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन :-

राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का गठन पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2001 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के तहत किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों / नियमों में प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है:-

1. जल (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. वायु (प्रदूषण, निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
4. छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम 2020
5. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016
6. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
7. जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
8. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016
9. ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
10. अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016
11. फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999
12. बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001
13. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006



संगठनात्मक संरचना :-

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में स्थित है, तथा इसके अधीनस्थ सात क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः रायपुर, भिलाई-दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अम्बिकापुर, जगदलपुर में स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालयों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार है :-

तालिका-1

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिले का नाम
1	रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार, गरियाबंद
2	भिलाई-दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा
3	बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, मुंगेली
4	कोरबा	कोरबा,
5	रायगढ़	रायगढ़, जशपुर
6	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरागपुर
7	जगदलपुर	जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर बीजापुर, कोण्डागांव, सुकमा

4. मंडल के मुख्य कार्यकलाप

- (1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान करना।
- (2) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।
- (3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाये गए विभिन्न नियमों यथा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचालन) नियम, 2008, नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000, जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम 2011, फ्लाई ऐश के उपयोग पर जारी अधिसूचना सितम्बर, 1999, बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001 एवं ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 आदि के प्रावधानों का पालन कराना।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा सम्पादित कार्य :-

5.1 जल एवं वायु सम्मति :-

- (अ) मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उद्योगों एवं संस्थाओं को क्रमशः जल एवं वायु सम्मति प्रदान की जाती है। 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक मंडल को सम्मति शुल्क के रूप में रु 453.90 / - लाख तथा नवीनीकरण शुल्क के रूप में रु 2811.37 / - लाख प्राप्त हुए।
- (ब) राज्य में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था करवाना एवं प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के संचालन पर निगरानी रखना।

तालिका-2

दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक उद्योगों को जारी की गई
सम्मति/सम्मति नवीनीकरण की संख्या

क.	कार्यालय का नाम	स्थापना/संचालन	सम्मति	नवीनीकरण
1	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर	स्थापना - 34	} 67	206
		संचालन - 33		
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	186		271
3	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई-दुर्ग	161		216
4	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	97		145
5	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	10		43
6	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	37		50
7	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	45		56
8	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	74		77
	कुल	677		1064

तालिका-3

दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत
आने वाले लघु, मध्य/बड़े उद्योगों की संख्या

क.	कार्यालय का नाम	लघु उद्योग	मध्यम/बड़े उद्योग
1	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	3035	137
2	क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई-दुर्ग	1888	84
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	990	59
4	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	153	50
5	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	470	59
6	क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर	705	30
7	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	305	11
	कुल	7546	430



5.2

(अ)

जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन कार्यक्रम (मीनार्स)

इसके अंतर्गत प्रमुख प्राकृतिक जल स्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जाती है। इस कार्यक्रम में प्रदेश की मुख्य नदियाँ— महानदी, शिवनाथ, खारून, अरपा, हसदेव, केलो, शंखनी—डंकनी, मांड, इंद्रावती नदियाँ शामिल हैं। यह योजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आर्थिक सहयोग से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :-

तालिका -4

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग-भिलाई	99
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	74
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	12
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	74
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	40
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	36
	कुल	335

(ब)

अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों की मॉनिटरिंग

मीनार्स कार्यक्रम के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा स्वयं के वित्तीय व्यय से सभी प्रमुख नदियों तथा उनकी सहायक नदियों एवं मुख्य झीलों, बांधों तथा तालाबों के जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :-

तालिका -5

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग-भिलाई	218
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	150
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	176
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	250
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	194
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	53
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	152
	कुल	1193

- (स) औद्योगिक दूषित जल स्रोतों की मॉनिटरिंग उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल की गुणवत्ता मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। मॉनिटरिंग परिणामों के आधार पर उद्योगों पर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये :-

तालिका-6

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नमूनों की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग-भिलाई	220
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	20
3.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	37
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	40
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	08
6.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	0
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	115
	कुल	440

5.3 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

- (अ) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (NAQM)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चार प्रमुख शहरों रायपुर, कोरबा, बिलासपुर एवं दुर्ग-भिलाई में परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग में आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थान सम्मिलित हैं। मॉनिटरिंग में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (एस.पी.एम.), रेस्परेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (आर.एस.पी.एम.), सल्फर डाई-आक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार विश्लेषित नमूनों की संख्या निम्नानुसार है :-

तालिका - 7

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	एस.पी.एम.	आर.एस.पी.एम.	सल्फर डाई ऑक्साइड	नाइट्रोजन ऑक्साइड
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई -दुर्ग	709	252	1440	1440
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	153	153	306	306
3.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	350	940	1880	1880
4.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	0	717	1394	1394
5.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	219	219	0	0
	कुल	1431	2281	5020	5020



- (ब) उद्योगों की चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप वायु प्रदूषण की स्थिति पर सतत निगरानी रखने हेतु उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाती है। दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार उद्योगों की चिमनियों एवं परिवेशीय वायु के निम्नानुसार नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये:-

तालिका -8

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्टेक मॉनिटरिंग की संख्या	एंबीएन्ट एयर मॉनीटरिंग की संख्या
1.	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई -दुर्ग	126	220
2.	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	02	20
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	0	16
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर	0	56
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा	01	0
6.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	73	06
7.	क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़	0	0
	कुल	202	318

- 5.4 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत की गई लोक सुनवाई :-
(अ) दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक की अवधि में सम्पन्न लोक सुनवाई :-

तालिका -9

क्र.	कार्यालय का नाम	भारत शासन को भेजे गये प्रकरणों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	22

- 5.5 उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक की अवधि में जारी नोटिस एवं निर्देशों का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका -10

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नोटिस	विद्युत विच्छेद/उत्पादन बंद करने के निर्देश
1.	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	36	176
2.	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	13	17
3.	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	06	01
4.	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	01	03
5.	क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग-भिलाई	04	231
6.	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	27	05
7.	क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	0	26
कुल		87	459

न्यायालयीन कार्यवाही :-

क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार मान. उच्चतम न्यायालय, मान. उच्च न्यायालय एवं मान. एन.जी.टी. में विचाराधीन प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका 11

क.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मान. उच्चतम न्यायालय	मान. उच्च न्यायालय	मान. एन.जी.टी.
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	0	18	01
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	0	13	02
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	0	01	02
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	01	16	04
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई-दुर्ग	0	01	0
06	क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर	01	06	02
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	02	03	02
कुल		04	58	13



क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार जिला न्यायालयों में दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 में दायर प्रकरणों की संख्या (जल, वायु एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में) का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका -12

क.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिला न्यायालयों में इस वर्ष दायर प्रकरणों की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	0
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	01
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	0
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	0
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई-दुर्ग	12
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	0
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	0
कुल		13

7. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमा पार संचलन) नियम, 2016
इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :-
1. प्राधिकार - 79
 2. नवीनीकरण - 79
8. जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
इस नियम के अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक की अवधि में जारी प्राधिकार एवं नवीनीकरण :-
1. प्राधिकार - 3897
 2. नवीनीकरण - 493
9. ध्वनि स्तर मापन :-
मंडल द्वारा दीपावली के पूर्व एवं दीपावली के दिन ध्वनि स्तर मापन का कार्य किया जाता है जिससे कि दीपावली पर्व के दौरान शहरों में ध्वनि का स्तर कितना है यह ज्ञात हो सके। इस वर्ष मंडल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ध्वनि स्तर मापन की संख्या कुल 132 है।

10. ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन :-
मंडल के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के विभिन्न प्रमुख उद्योगों द्वारा रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर जगदलपुर, एवं भिलाई में कुल 102 ऑनलाईन कन्टीन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किये गये हैं। इन उपकरणों द्वारा सतत रूप में एस.पी.एम., आर.एस.पी.एम., एस.ओ.टू. एवं एन.ओ.एक्स. की स्थिति लगातार ज्ञात होकर दर्शित होती है।
11. 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाईन कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित -
मंडल में 17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी उद्योग जिनमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार ऑनलाईन कन्टीन्यूअस स्टेक एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य था, में आने वाले सभी उद्योगों में उक्त सिस्टम स्थापित कर लिया गया है। प्रदेश में ऐसे उद्योगों की संख्या 163 है।
12. वृक्षारोपण बाबत जानकारी (वर्ष 2020 में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी) :-

तालिका -13

क्रं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	वृक्षारोपण की संख्या
01	क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर	1,36,815
02	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	16,31,268
03	क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़	1,66,799
04	क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा	3,61,690
05	क्षेत्रीय कार्यालय भिलाई-दुर्ग	1,14,032
06	क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर	3,78,366
07	क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर	35,000
	कुल	28,23,970

13. नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम के तहत ईको-क्लब का गठन।
स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता हेतु राज्य के लगभग 6750 स्कूलों में इको क्लब गठित किया गया है। इसी प्रकार राज्य के 100 महाविद्यालयों में भी ईको-क्लब गठित किये गये हैं। प्रदेश में लगभग 7 लाख स्कूली इस कार्यक्रम से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं।



14. जन जागरूकता अभियान :-

1. 05 जून विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन।

05 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर "जैव विविधता संरक्षण-प्रकृति को समय दें" विषय पर राज्य स्तरीय ऑनलाईन पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिता में विजेताओं को आकर्षक नगद पुरस्कार दिये गये। इस दिन मण्डल मुख्यालय में वृक्षारोपण किया गया। इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा एवं जगदलपुर द्वारा इस अवसर पर वृक्षारोपण किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर द्वारा संगोष्ठी का आयोजन एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर द्वारा ऑनलाईन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। क्षेत्रीय कार्यालय, भिलाई द्वारा जैव विविधता पर ऑनलाईन निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

15. बोर्ड की वित्तीय स्थिति :-

वर्तमान में बोर्ड की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:-

तालिका -14

अवधि	सम्मति शुल्क रु. लाख में	नवीनीकरण शुल्क रु. लाख में
दिनांक 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020	453.90	2811.37

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में कुल स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

क.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	वेतन लेबल
1	2	3	4	5	6
1.	मु. अभियंता	01	01	—	लेबल — 16
2.	अति. मु. अभियंता	02	02	—	लेबल — 15
3.	अधीक्षण अभियंता	07	06	01	लेबल — 14
4.	वरि. वैज्ञानिक अधिकारी	03	01	02	लेबल — 14
5.	कार्यपालन अभियंता	09	—	09	लेबल — 13
6.	मुख्य रसायनज्ञ	07	04	03	लेबल — 13
7.	जनसंपर्क अधिकारी	01	01	—	लेबल — 13
8.	विधि अधिकारी	01	—	01	लेबल — 13
9.	वैज्ञानिक	21	07	08	लेबल — 12
10.	सहा.जनसंपर्क अधिकारी	01	—	01	लेबल — 12
11.	स्टाफ आफीसर	01	01	—	लेबल — 12
12.	सहायक अभियंता	20	16	04	लेबल — 12
13.	सहायक विधि अधिकारी	02	02	—	लेबल — 12
14.	अनुभाग अधिकारी (बी)	03	01	02	लेबल — 10
15.	कनिष्ठ वैज्ञानिक	15	—	15	लेबल — 10
16.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	01	—	01	लेबल — 10
17.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	02	—	02	लेबल — 09
18.	वरिष्ठ लेखापाल (बी)	06	05	01	लेबल — 09
19.	सहायक प्रोग्रामर	01	01	—	लेबल — 09
20.	उप अभियंता	01	01	—	लेबल — 09
21.	रसायनज्ञ	20	13	—	लेबल — 08
22.	लेखापाल	14	05	07	लेबल — 08
23.	विधि सहायक	01	—	09	लेबल — 08
24.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	02	—	01	लेबल — 08
25.	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड-1	15	—	02	लेबल — 07
26.	सहायक ग्रेड-2	20	04	11	लेबल — 06
27.	प्रयोगशाला सहा. ग्रेड-2	20	07	13	लेबल — 06
28.	सहायक ग्रेड-3	40	10	10	लेबल — 04
29.	वाहन चालक	24	26	14	लेबल — 04
30.	प्रयोगशाला परिचारक	20	05	15	लेबल — 04
31.	दफ्तरी	12	07	13	लेबल — 03
32.	भृत्य	35	04	08	लेबल — 02
	कुल	328	135	193	लेबल — 01